UPSD040068862026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –809/2026
फौजदारी वाद संख्या––6735/2025
सरकार –बनाम––धर्मपाल।

मु०अ०सं०–54/2025
धारा–60(1) आबकारी अधिनियम
थाना–जोगिया उदयपुर, जिला–सिद्धार्थनगर

दिनांक–04.04.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त धर्मपाल पुत्र मनबहाल साहनी की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जरिये आत्मसमर्पण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह बेगुनाह एवं निर्दोष है, महज रंजिशन पुलिस द्वारा गलत तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई भी शराब नहीं बेची जा रही थी मात्र खानापूर्ति हेतु पुलिस द्वारा चालान कर दिया गया है। उसको पुलिस ने मात्र गलत तरीके से बिना कोई साक्षी के गलत बरामदगी दिखा कर चाान कर दिया है। उक्त आधारों पर जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त धर्मपाल पुत्र मनबहाल साहनी द्वारा मु० बीस हजार रुपये का स्वबन्ध पत्र निष्पादित करने एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

(स्वाती आनन्द)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ०कोड–यू.पी.3558

Digitally signed by SWATI ANAND
Date: 2026.04.04 05:25:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court